Phone : 2704882

UNIVERSITY LAW COLLEGE CENTRE-II
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
J.L.N. Marg, Jaipur-302004

No. : ULCC-II/2026/536 Dated : 21/11/26

सूचना
(केवल तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु)

LL.B. तृतीय सेमेस्टर के समस्त विद्यार्थी एवं ऐसे विद्यार्थी जो Computer Education (कम्प्यूटर शिक्षा) की परीक्षा में पूर्व में अनुपस्थिति थे, को सूचित किया जाता है कि Computer Education (कम्प्यूटर शिक्षा) विषय की परीक्षा दिनांक 2 दिसंबर, 2026 को आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

1. परीक्षा का कार्यक्रम
   - दिनांक: 2 दिसंबर, 2026
   - समय: दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक।
   - परीक्षा कक्ष में प्रवेश का अंतिम समय: दोपहर 1:40 बजे।

निर्धारित समय अर्थात दोपहर 1:40 बजे के पश्चात किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अनुरोध, बहाना अथवा व्यक्तिगत आग्रह स्वीकार नहीं किया जाएगा।

V Tarun
प्राचार्य

Phone : 2704882

UNIVERSITY LAW COLLEGE CENTRE-II
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
J.L.N. Marg, Jaipur-302004

No. : ULCC-II/20 26 /...536..... Dated : 25/11/26

परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक दिशा–निर्देश

1. परीक्षा का स्वरूप

– परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (Objective Type Questions) पर आधारित होगी।
– कुल प्रश्नों की संख्या : 25
– प्रत्येक प्रश्न के अंक : 2
– विद्यार्थियों को निर्धारित समय में परीक्षा पूर्ण करनी होगी।

2. पहचान–पत्र एवं प्रतिबंधित सामग्री

– प्रत्येक विद्यार्थी कॉलेज का पहचान–पत्र (College ID Card) पहनकर उपस्थित होगा।
– कॉलेज पहचान–पत्र के अतिरिक्त अन्य वैध पहचान–पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
– मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
– प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

3. अनिवार्य उपस्थिति एवं उत्तीर्णता

Computer Education एक Skill Enhancement Course (SEC) के अंतर्गत संचालित None Credit Paper (Zero Credit) है। यद्यपि इस विषय के अंक कुल प्राप्तांकों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, तथापि परीक्षा में उपस्थिति एवं निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

जो विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहेंगे अथवा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन्हें इस विषय की परीक्षा के लिए आगामी वर्ष आयोजित परीक्षा में ही अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रगति एवं परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। अतः इस विषय को किसी भी स्थिति में अनावश्यक अथवा वैकल्पिक न समझें।

4. अनुशासन एवं अनुचित साधनों के संबंध में

परीक्षा के दौरान पूर्ण अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा। किसी भी विद्यार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करना, प्रश्नों के उत्तर पूछना अथवा बताना, आपस में बातचीत करना, परीक्षा की मर्यादा भंग करना या किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करते हुए पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5. अंतिम निर्देश

समस्त विद्यार्थी परीक्षा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय से पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा उपर्युक्त सभी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

समय–सीमा, प्रवेश एवं अनुशासन संबंधी नियमों में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

Varun
प्राचार्य